रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 1970/आश्विन 15, 1892

No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 1970/ASVINA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th October 1970

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of Indian Cotton Textiles for export to Austria during the licensing year 1970-71.*

No. PN (Austria Licensing)/1 of 1970.—The scheme relates to the export of all varieties of mill-made cotton textiles, including cotton yarn from India to Austria during the licensing year 1st October, 1970 to 30th September, 1971.

2. Exports will be allowed for any port in India.

3. Licences under the scheme shall be issued by the Joint Chief Controller of Imports & Exports, Bombay, on the basis of the quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on first-come-first served basis. The quota certificate will be issued on presentation by exports of firm contracts and a proforma invoice indicating, along with other details, the net weight in Kgs. of the goods in Form prescribed by the Texprocil for the purpose.

4. For the purposes of exports and issuances of quotas/licences, Cotton Textiles have been divided into the following 3 categories:—

Category I	Grey goods.
Category II	Terry Towels and Twilling.
Category III	Cotton Yarn, finished fabrics, Miscellaneous.

5. Such imports into Austria will be admitted by the competent Austrian authority only on presentation of the green certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, on the basis of which the Austrian authorities will issue an import licence.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the E.E.C. and Austria Textiles Licensing Advisory Committee.

7. A non-refundable charge of Rs. 2.50 per ton will be levied by the Cotton Textiles Export Promotion Council for the issue of quotas, subject to a minimum of Rs. 2.50.

8. All quota holders shall have to submit monthly reports to the Cotton Textiles Export Promotion Council, giving details of the shipment against individual licences issued to them. These statements should reach the Council by the 10th of the subsequent month.

9. E.E.C.—Austria Textiles Licensing Advisory Committee shall (a) supervise the entire scheme, (b) keep a watch over the performance from time to time, (c) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme and (d) make such changes in the scheme as the Committee deems fit from time to time The Licensing Committee shall be empowered to frame rules and regulations from time to time, *inter-alia*, providing for the conditions to be complied with by an applicant before he would be entitled to quotas. It shall also have the right to withhold or cancel quotas and reject applications for quotas without assigning any reasons.

10. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as follows:—

"Engineering Centre",
5th Floor, 9 Mathew Road,
Bombay-4.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1970

विषय :—लाइसेंस वर्ष 1970 के दौरान आस्ट्रिया को भारतीय सूती कपड़ों का निर्यात करने के लिए लाइसेंस योजना ।

सं० पी एन (आस्ट्रिया लाइसेंसिंग)/1, 1970.—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 के दौरान मिल निर्मित सभी प्रकार के सूती कपड़े जिसमें सूती धागा भी शामिल है, उनको भारत से आस्ट्रिया के लिए आयात करने से सम्बन्धित योजना ।

2. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी ।

3. योजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद, बम्बई द्वारा पहले आये सो पहले पाए आधार पर जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक,आयात-निर्यात, बम्बई द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा । कोटा प्रमाण-पत्र संविदा फर्म के निर्यात और एक प्रपत्र बीजक जिसमें अन्य विवरणों के साथ इस कार्य के लिए टैक्सप्रोसिल द्वारा निर्धारित प्रारूप में माल का वास्तविक वजन किलोग्राम में दिया गया हो, इनके द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी किया जाएगा ।

4. निर्यातों और कोटा/लाइसेंसों को जारी किए जाने के लिए सूती वस्त्रों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है :—

श्रेणी एक	. .	धूसर माल
श्रेणी दो	. .	टैरी तौलिए और तौलिए बनाने के लिए, तथा
श्रेणी तीन	. .	सूती धागा, तैयार कपड़े, विविध ।

5. आस्ट्रिया में इस प्रकार के आयात की अनुमति केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई द्वारा जारी किए ग्रीन सर्टिफिकेट में प्रस्तुतीकरण पर ही आस्ट्रिया के समर्थ प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी, जिसके आधार पर आस्ट्रिया के प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस जारी किया जाएगा ।

6. ई० ई० सी० और आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति की स्पष्ट स्वीकृति के बिना लाइसेंसों और कोटाओं का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा ।

7. कोटा जारी करने के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन समिति द्वारा प्रति टन 2.50 रुपये के हिसाब से अदेय शुल्क वसूला जाएगा । इसकी न्यूनतम राशि 2.50 रुपया होगी ।

8. सभी कोटाधारी जिनको व्यक्तिगत लाइसेंस जारी किया गया है, उसके लिए उन्हें पोत लदान का विवरण देते हुए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को मासिक रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी । यह विवरण परिषद को अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए ।

9. ई० ई० सी०—आस्ट्रिया वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति का निम्नलिखित काम होगा :— (क) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना, (ख) समय समय पर कार्यपालन की निगरानी करना, (ग) योजना के परिचालन से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का विवेचन करना और निणय देना और (घ) योजना में समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जिसे समिति उपयुक्त समझे । कोटा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने से पहले की शर्तों का आवेदक से पालन कराने के साथ साथ लाइसेंस समिति समय समय पर नियम तथा विनियम बनाने के लिए भी अधिकृत है । इसे यह भी अधिकार होगा कि वह कोटा को रोक ले या उसे रद्द कर दे और किसी कारण को बिना समानुदेशित किए ही कोटा के लिए दिए गए आवेदन पत्र को रद्द कर दे ।

10. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—
"इंजीनियरिंग सेन्टर"
5वीं मंजिल, 9, मैथ्यू रोड, बम्बई-4 ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970